कार्यकारी सारांश

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act
100
महात्मा गांधी नरेगा
Mahatma Gandhi NREGA
ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
Ministry of Rural Development, Govt. of India

कार्यकारी सारांश

ग्रामीण विकास विभाग

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के कार्यान्वयन पर निष्पादन लेखापरीक्षा

कार्यकारी सारांश

भारत सरकार ने सितम्बर 2005 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) पारित किया, जिसका पुर्ननामांकण अक्टूबर 2009 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के रूप में किया गया। यह अधिनियम भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार के अजीविका सुरक्षा की वृद्धि के लिए प्रत्येक परिवारों के वयस्क सदस्य जो स्वेच्छा से अकुशल हस्त कार्य करने को तैयार हो उनको कम से कम 100 दिनों की मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराता है। महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) का झारखंड में शुरूआत फरवरी 2006 से किया गया। राज्य में अप्रैल 2007 से मार्च 2012 के बीच महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यान्वयन पर राज्य के 24 जिलों में से छः जिलों में निष्पादन लेखापरीक्षा का संचालन मार्च और अगस्त 2012 के बीच किया गया।

कुछ प्रमुख लेखापरीक्षा परिणामों की विवेचना निम्नवत हैं:

क्षमता निर्माण

- नरेगा अधिनियम के अधिसूचना की तारीख से एक वर्ष एवं नौ महीने के बाद राज्य योजना (नरेगा योजना- झारखंड) जून 2007 में प्रतिपादित हुई। उसी प्रकार, राज्य रोजगार सुनिश्चित परिषद की भी संस्थापना योजना के आरंभ होने के 11 माह की विलम्ब से की गई थी।

- छः नमूना जिलों में पाकुड़ जिला को छोड़कर जहाँ रिक्तियाँ 100 प्रतिशत थी, कार्यक्रम अधिकारी की संवर्ग में रिक्तियाँ 19 से 50 प्रतिशत के बीच और सहायक अभियंता की संवर्ग में 61 से 90 प्रतिशत के बीच थी।

- नियमों के प्रतिपालन तथा राज्य द्वारा एसईजीएस के संस्थापना में देरी एवं तकनीकी संसाधन कर्मचारी सहित मानवबल की अपर्याप्तता, योजना के समयक कार्यान्वयन के लिए, क्षमता निर्माण को विपरीत रूप से प्रभावित करता है। अपर्याप्त प्रशिक्षण के कारण कर्मिक, योजनाओं के कार्यान्वयन में अपने कर्तव्यों का निर्वहन, सुचारू रूप से नहीं कर पाये।

***योजना* परिकल्पना**

- जिला दीर्घलक्षी योजना के अभाव एवं असंगतपूर्ण तैयारी तथा विकास योजना/वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति में देरी से, जिलों में योजना के ढ़ांचागत कार्यान्वयन का अभाव था। आगे, ग्रामसभा के स्वीकृति के बिना कार्य का कार्यान्वयन, योजना प्रक्रिया में व्यवस्थामूलक कमजोरी की ओर इंगित करता है।

वित्तीय प्रबंधन

- मनरेगा योजना के तहत जिला योजना समितियों के द्वारा अवास्तविक श्रम बजट तैयार करने से बजट आकलन दोषपूर्ण था। राज्य, जिलों के धीमी गति से खर्च करने के कारण केन्द्रीय अंश से वंचित रह गया। योजना के अन्तर्गत जिला योजना समितियों को उपलब्ध करायी गई राशि का पूर्ण उपयोग नहीं हुआ।

- किसी भी नमुना जाँच प्रखण्ड़ों एवं ग्राम पंचायतों में राज्य रोजगार सुनिश्चित निधि का सृजन नहीं किया गया था तथा राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम निधि और एस.जी.आर.वाई. निधि का मनरेगा योजना निधि में विलय नहीं किया गया था।

पंजीकरण एवं रोजगार

- 2007-12 के दौरान 13,000 परिवार, रोजगार मांगे जाने के बावजूद इससे वंचित रह गए थे। जबकि, उनलोगों को बेरोजगारी भत्ता का भुगतान नहीं हुआ था। योग्य पंजीकृत परिवारों में से केवल 1 से 3 प्रतिशत परिवारों को 100 दिनों का रोजगार प्रदान किया गया।

- घर घर सर्वेक्षण नहीं होने के कारण श्रमिकों का पंजीकरण एवं रोजगार प्रभावित हुआ। जॉब कार्ड पंजी का समुचित रूप से संधारण नहीं किया गया था। रोजगार मांगे जाने पर भी पर्याप्त रोजगार प्रदान नहीं किया गया था।

मस्टर रोल एवं मजदूरी का भुगतान

- कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा निर्गत किये गए तारीख से पहले मस्टर रोल के उपयोग के उदाहरण एवं एक ही समय में 238 श्रमिकों को दुबारा/तिबारा विनियोजन का पता चला, परिणामस्वरूप, मजदूरी का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

- 2009-12 अवधि के दौरान मजदूरो को वृहद क्षेत्र बहुद्देशीय सोसाइटी (एलएएमपीएस) के माध्यम से ₹ 2.14 करोड़ की मजदूरी राशि का भुगतान किया गया था, जिसके परिणमस्वरूप, श्रमिकों की मजदूरी से सेवा शुल्क की कटौती होने से ₹ 8.81 लाख राशि की मजदूरी का कम भुगतान हुआ।

- श्रमिकों को मजदूरी पर्ची निर्गत कर सामयिक एवं पर्याप्त भुगतान सुनिश्चित नहीं किया गया था। लाभुक वैधानिक सुनिश्चित रोजगार के साथ-साथ बेरोजगारी भत्ते से वंचित रहे।

योजनाओं का कार्यान्वयन

- 2007-12 अवधि के दौरान विहित मानदंड का उल्लंघन करते हुए 1,408 अस्वीकार्य मिट्टी-मुरम कार्यों को, निर्माण हेतु लिया गया था।

- छः नमूना जाँच जिलों में से तीन में ₹ 1.72 करोड़ की राशि का कार्य बीच में हीं छोड़ दिया गया जिससे इन कार्यों पर किया गया पूर्ण व्यय निरर्थक हो गया।

- सरकार द्वारा ₹ 27.91 करोड़ के व्यय के बावजूद, दोषपूर्ण योजना बनाने, कार्य की धीमी प्रगति, विभिन्न कार्यों में ग्राम रोजगार सहायक के विनियोजन आदि के कारण, 2007-12 अवधि के दौरान 2,949 अनुमोदित कार्य समयावधि समाप्त होने के पाँच साल बाद तक अपूर्ण रहे और समाज के उपयोग हेतु टिकाऊ परिसंपति के निर्माण में विफल रहे।

पर्यावरण सुरक्षा एवं सामाजिक पहलू

- 2007-12 के दौरान मनरेगा योजना निधि की ₹ 11.93 करोड़ की राशि सामग्री, जैसे बोल्डर, मेटल, चिप्स, मुरम इत्यादि अपंजीकृत आपूर्तिकर्त्ता से खरीदने पर व्यय किये गए, जो अवैध खनन द्वारा प्राप्त सामग्री आपूर्ति करते थे। यह पर्यावरण पर विपरित रूप से असर डालेंगे।

- राज्य में मनरेगा योजना के कार्यान्वयन में अ.जा./अ.ज.जा. का प्रतिनिधित्व उत्साहवर्धक था। हलांकि 2011-12 में योजना के अन्तर्गत पाये गए रोजगार में महिलाओं की संख्या विहित मानदंडों से नीचे थी।

मनरेगा योजना का अन्य कार्यक्रमों के साथ अभिसरण

- भारत निर्माण राजीव गॉधी सेवा केन्द्र (भा.नि.रा.गाँ.से.के.) भवन का निर्माण की एक योजना मनरेगा योजना के अंतर्गत अभिसारित किया गया था। नमूना जॉच जिलों में भा.नि.रा.गाँ.से. केन्द्र भवनों का निर्माण की पूर्णता निर्माण लक्ष्य का केवल 11 प्रतिशत था। अन्य क्षेत्रों/कार्यक्रमों से योजनाएं यथा साक्षरता एवं

स्वास्थ्य मिशन का मनरेगा योजना के साथ अभिसरण नहीं किया गया यद्यपि इसका प्रावधान मार्गदर्शिका में था।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

- कार्य निरीक्षण की स्थिति अच्छी नहीं थी। राज्य गुणवत्ता अनुश्रवण तथा जिला गुणवता अनुश्रवण की नियुक्ति ग्राम एवं जिला स्तर पर जुलाई 2012 तक नहीं की गई थी।

- नागरिक अधिकार पत्र तैयार नहीं किया गया था परिणामस्वरूप मनरेगा योजना का कार्यान्वयन बिना विशिष्ट दस्तावेज यथा योजना के कार्यान्वयन में शामिल कदम एवं अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाने वाली न्यूनतम सेवा स्तर, के कार्यान्वयन किया गया था।

- उच्च स्तरीय समन्वयन समिति द्वारा बैठक/निरीक्षण नहीं की गई थी। इस प्रकार राज्य पर्यवेक्षण एवं निर्देशों के लाभ से वंचित रह गया, जिसे समिति द्वारा इंगित किया जाना चाहिए था।

- अनुश्रवण सूचना तंत्र (एम.आई.एस.) में डाले गये आंकडे तथा मासिक प्रगति प्रतिवेदन में उपलब्ध सूचना के बीच वृहत असंगति थी जिससे योजना के आंकड़े अविश्वसनीय हो गए।